न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :–महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :– 170 /2020 प्रा.पत्र

ईश्वर सिंह S/o किशनसिंह राजपूत नि० फाकोलिया तह० करेड़ा–भी०

––प्रार्थी।

बनाम

श्री लक्ष्मी पि० शुगना रसाल नि० फाकोलिया – तह० करेड़ा – भी०

––विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांकः 11/01/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के [प्रस्]तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फाकोलिया.....पटवार हल्का चिताम्बा.......भू0अ0नि0 क्षेत्र चिताम्बा खाता संख्या 06........की आ0नं0 171, 190, 648, 652, 945, 946, 947, 949, 984, 985 कुल किता 10 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा ....स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। [प्रा]र्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14/10/2020 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण [अव]लोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से [पत्थरगढी] कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की [प्रभावित] होने का अदेंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों [को देख]ते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया [जाकर] ग्राम फाकोलिया...........पटवार हल्का चिताम्बा..............भू0अ0नि0 क्षेत्र चिताम्बा........में उनके खाता की आ0नं 171, 190, 648, 652, 945, 946, 947, 949, 984, 985, कुल किता 10 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा ....भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की [ज]ानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि0 चिताम्बा..........को 1200/-/– रुपये [कमिश्नर] फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। [कमिश्नर] फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये [स्थाई] बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल [खड़ी होने] पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

[संलग्न]:–प्रार्थना पत्र प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:11:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

[प्रति]:– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाडा